संख्या-2/2020/13/58-1-20-2/1(26)12

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उ0प्र0, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2020

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कन्वर्जेन्स के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2011/बा.वि.परि./निर्माण/2019-20 दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 में आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्रावधानित कुल धनराशि रूपये 4021.12 लाख (मूल प्रावधान रू0 800.00 लाख एवं अनुपूरक प्रावधान रू0 3221.12 लाख) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-45/2019/2445/60-2-19-2/1(26)12 दिनांक 26.09.2019 द्वारा रू0 799.04 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अत: वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 3222.08 लाख (रूपये बत्तीस करोड़ बाईस लाख आठ हजार मात्र) में से संलग्न विवरण के अनुसार 1576 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु रू0 2.00 लाख प्रति केन्द्र की दर से रू0 3152.00 लाख तथा उक्त भवनों में सम्मिलित लवणयुक्त मृदा वाले 05 जनपदों-फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी एवं प्रतापगढ़ के कुल 288 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु रू0 0.24 लाख प्रति केन्द्र की दर से अतिरिक्त रू0 69.12 लाख अर्थात कुल रूपये 3221.12 लाख (रुपये बत्तीस करोड़ इक्कीस लाख बारह हजार मात्र) (केन्द्रांश रू0 1891.20 लाख एवं राज्यांश रू0 1329.92 लाख) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन जनपदवार निर्माण कार्य के निर्धारित लक्ष्य/प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण लागत के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृति धनराशि का व्यय प्रश्नगत निर्माण कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकों/ निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिए किसी अन्य योजना से धनराशि, इसके पूर्व स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे। टाईम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन के संबंध में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।
8. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12 दिनांक 19.10.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य की कार्यवाही की जाय।
9. निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अनुमोदित आंगणन लागत/मानचित्र के अधीन रहते हुए ही किया जायेगा।
10. प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. धनराशि के आहरण के पूर्व निर्विवाद भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
12. आहरित धनराशि की उपयोगिता की स्थिति से ससमय अवगत कराया जाय।
13. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 द्वारा निर्गत दरों के आधार पर कन्वर्जेन्स के माध्यम से किया जा रहा है। अत: उक्त स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त धनराशि शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12 दिनांक 19.10.2016 एवं शासनादेश संख्या-1660/60-2-19-2/1(26)/12टीसी दिनांक 31.05.2019 में निर्गत निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा एवं पंचायती राज विभाग के सुसंगत अनुदान से वहन किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अधीन लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0103-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (के060/रा040-के+रा)-24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-4-47/दस/2020, दिनांक 22 जनवरी, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
उप सचिव।

संख्या-2/2020/13(1)/58-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार(जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ.प्र.,इलाहाबाद।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत निर्माण कार्य के संलग्न जनपदवार विवरण के अनुसार कन्वर्जेन्स के माध्यम से मनरेगा के अन्तर्गत वहन की जाने वाली धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत निर्माण कार्य के संलग्न जनपदवार विवरण के अनुसार कन्वर्जेन्स के माध्यम से पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत वहन की जाने वाली धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
10. राज्य योजना आयोग-1/केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
11. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.upnic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में आंगनबाडी केन्द्र निर्माण की कार्ययोजना

क्र0सं0	जनपद का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण का लक्ष्य	मृदा का प्रकार	मृदा की दर प्रति आं0बा0 केन्द्र (रू0 लाख में)	मृदानुसार कुल लागत (रू0 लाख में)	मनरेगा का अंश सा0मृ रू. 4.46 लाख, काली मृ0 रू. 4.98 लाख एवं ल0मृ0 रू.5.00	पंचायतीराज विभाग से योगदान, प्रति केन्द्र रू0 1.06 लाख की दर से	आई0सी0डी0एस0 विभाग का अंश		
								केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जालौन	115	काली मृदा	8.04	924.60	572.70	121.90	138.00	92.00	230.00
2	ललितपुर	25	काली मृदा	8.04	201.00	124.50	26.50	30.00	20.00	50.00
3	आगरा	131	सामान्य मृदा	7.52	985.12	584.26	138.86	157.20	104.80	262.00
4	अमरोहा	42	सामान्य मृदा	7.52	315.84	187.32	44.52	50.40	33.60	84.00
5	बलिया	1	सामान्य मृदा	7.52	7.52	4.46	1.06	1.20	0.80	2.00
6	बलरामपुर	20	सामान्य मृदा	7.52	150.40	89.20	21.20	24.00	16.00	40.00
7	बाराबंकी	120	सामान्य मृदा	7.52	902.40	535.20	127.20	144.00	96.00	240.00
8	बिजनौर	11	सामान्य मृदा	7.52	82.72	49.06	11.66	13.20	8.80	22.00
9	चन्दौली	137	सामान्य मृदा	7.52	1030.24	611.02	145.22	164.40	109.60	274.00
10	गोण्डा	135	सामान्य मृदा	7.52	1015.20	602.10	143.10	162.00	108.00	270.00
11	कुशीनगर	76	सामान्य मृदा	7.52	571.52	338.96	80.56	91.20	60.80	152.00
12	मुजफ्फरनगर	2	सामान्य मृदा	7.52	15.04	8.92	2.12	2.40	1.60	4.00
13	रायबरेली	135	सामान्य मृदा	7.52	1015.20	602.10	143.10	162.00	108.00	270.00
14	संतरविदास नगर	30	सामान्य मृदा	7.52	225.60	133.80	31.80	36.00	24.00	60.00
15	शामली	12	सामान्य मृदा	7.52	90.24	53.52	12.72	14.40	9.60	24.00
16	सोनभद्र	175	सामान्य मृदा	7.52	1316.00	780.50	185.50	210.00	140.00	350.00
17	उन्नाव	121	सामान्य मृदा	7.52	909.92	539.66	128.26	145.20	96.80	242.00
18	फतेहपुर	11	लवणयुक्त मृदा	8.30	91.30	55.00	11.66	13.20	11.44	24.64
19	कानपुर देहात	100	लवणयुक्त मृदा	8.30	830.00	500.00	106.00	120.00	104.00	224.00
20	कानपुर नगर	69	लवणयुक्त मृदा	8.30	572.70	345.00	73.14	82.80	71.76	154.56
21	कौशाम्बी	35	लवणयुक्त मृदा	8.30	290.50	175.00	37.10	42.00	36.40	78.40
22	प्रतापगढ़	73	लवणयुक्त मृदा	8.30	605.90	365.00	77.38	87.60	75.92	163.52
	कुल योग	**1576**			**12148.96**	**7257.28**	**1670.56**	**1891.20**	**1329.92**	**3221.12**

(शिवराज कुमार यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।